झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–327 / 2019

अशोक कुमार दास ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य, अपने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के माध्यम से
2. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड राज्य ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मृणाल कांति रॉय, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिए : श्री ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव, जी0पी0–II के ए0सी0

प्रतिवादी सं0 2 के लिए : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

04 / 14.06.2019 इस सी0एम0पी0 को डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3575 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 को वापस लेने / संशोधन के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत और उपरोक्त रिट याचिका को 23.04.2019 के आदेश द्वारा निपटान किया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, शिकायत मामला संख्या 01 / 2015 में पारित 01.06. 2017 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में चुनौती देने का एकमात्र आधार लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान का अनुपालन न करना था लेकिन इस मामले को उस तारीख को सूचीबद्ध किया गया जब कई रिट याचिका का निपटारा किया

गया था, जिसमें कुल मिलाकर पांच मामले डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 5691/2017, 263/2019, 3575/2017, 5646/2017 और 6597/2018 में माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाते हैं।

पूर्वोक्त मामलों में से कुछ जहां लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 12 (3) के प्रावधान का पालन नहीं करने से संबंधित था और इसलिए गलती हो गई है। मामले के ऐसे पहलू के मद्देनजर, सिविल विविध याचिका पूर्वोक्त आदेश को वापस लेने के लिए दाखिल की गई है।

श्री राजेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया आधार है लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 10 के प्रावधान के तहत आवश्यक सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करना।

इस अदालत ने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिट याचिका में की गई दलील को देखने के बाद, जो अभिलेख पर उपलब्ध है, पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिए गये आधार लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 10 के प्रावधान का पालन न करने के बारे में है, जिसमें प्रावधान है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अनियमितताओं या गैर–प्रैक्टिस के कमीशन के आरोप का आरोप लगाया गया है, उसे शिकायत की प्रति और सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा।

इस न्यायालय ने दिनांक 23.04.2019 के आदेश को देखने के बाद पाया है कि रिट याचिका को लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा 12 (3) का पालन न करने के आधार पर निपटाया गया है, क्योंकि आदेश के अग्रभाग पर त्रुटि स्पष्ट है और इस तरह के आदेश दिनांक 23.04.2019 को वापस लिया जाना उचित है। तदनुसार, वापस लिया गया।

इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

परिणाम में डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3575/2017 की रिट याचिका को नए सिरे से सुना जाना आवश्यक है, इसलिए, इसे 21.06.2019 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)